संख्या-4/2025/46-1002(001)/3/2025

प्रेषक,

सी.इंदुमती,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,

गन्ना एवं चीनी,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक अप्रैल, 2024

विषय- लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, लखनऊ उ.प्र. को वित्तीय वर्ष 2025-26 में वेतन मदों हेतु प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-236/लेखा-बजट(चीनी), दिनांक 30.03.2025 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, लखनऊ उ.प्र. को अनुदान संख्या-24 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक- ''2401-फसल कृषि कर्म, 108-वाणिज्यिक फसलें, 03-गन्ना, 0304-लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, लखनऊ उ.प्र. को सहायता, 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) के अन्तर्गत 31-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) मद में चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में **प्राविधानित धनराशि रू.600.00 लाख के सापेक्ष मांग की गयी धनराशि रू.600.00 लाख** की संलग्नक में उल्लिखित मदों में आहरित करने एवं यथा आवश्यकता निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, लखनऊ उ.प्र. को उपलब्ध कराने हेतु आपके निर्वतन पर रखने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

वेतन मद- **(धनराशि लाख रूपये में)**

क्र. सं.	अनुदान/लेखाशीर्षक/मद	वित्तीय वर्ष-2025-26 में कुल प्राविधानित धनराशि	प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष मांग की जा रही धनराशि
1.	अनुदान संख्या-24 (चीनी/राजस्व) 2401-फसल कृषि कर्म, 108-वाणिज्यिक फसले, 03-गन्ना 0304-लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान उ.प्र. लखनऊ को सहायता,		

https://shasanadesh.up.gov.in

	31-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन)	600.00	600.00
	योग राजस्व	**600.00**	**600.00**

(रूपये छः करोड़ मात्र)

<u>नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों:-</u>

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि को व्यय सहायता अनुदान के उद्देश्यों के अनुरूप किया जायेगा तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च 2025 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट में प्रावधानित धनराशि (मतदेय/भारित) के समक्ष वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी किये जाने के संबंध में प्रस्तर-2(5) में निम्न दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है:-

" जिन मामलों में राज्य द्वारा अनुदानित संस्थाओं के वेतन व भत्ते के भुगतान का दायित्व राज्य सरकार पर है, उनके लिए व्यय की मानक मद ''31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)'' के अन्तर्गत बजट प्रावधान से सम्बन्धित वित्तीय स्वीकृतियाँ सुसंगत नियमों व स्थाई आदेशों के अधीन प्रशासकीय विभाग द्वारा निर्गत की जायेंगी। यदि संस्थाओं के पास विगत वर्ष की कोई अप्रयुक्त धनराशि अवशेष है तो उसका समायोजन करने के उपरान्त वित्तीय स्वीकृतियाँ प्रशासकीय विभाग द्वारा निर्गत की जायेंगी।"

(2) आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी1/2024/बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जाएगा।

(3) धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही राजकोष से किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही उपर्युक्त धनराशि का कोषागार से आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा, एकमुश्त धनराशि का आहरण नही किया जायेगा तथा आहरण की गयी धनराशि पी.एल.ए./बैंक खाते में नही रखा जायेगा।

(4) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही उपर्युक्त धनराशि का कोषागार से आहरण आवश्यकतानुसार किया जायें।

(6) संस्था द्वारा वेतन का भुगतान वित्तीय नियमों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व संस्था के निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, लखनऊ उ.प्र. व वित्त नियंत्रक की होगी तथा समय-समय पर बजट व्यय की समीक्षा भी सुनिश्चित की जायेगी।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय फाइनेंशियल हैंडबुक व वित्तीय नियम संग्रह एवं अन्य वित्तीय व्यवस्थाओं के अनुरूप ही किया जायेगा तथा व्यय की गई धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से प्रतिहस्ताक्षरित करते हुए समय से उपलब्ध

https://shasanadesh.up.gov.in

कराना सुनिश्चित किया जाये। स्वीकृत धनराशि का अन्तरण दूसरे मद में नहीं किया जायेगा और यदि ऐसा करना अति आवश्यक हो तो उसका औचित्य स्पष्ट करते हुए शासन की पूर्व अनुमति अनिवार्य रूप से प्राप्त की जायेगी।

(8) उपरोक्तानुसार प्राविधानित धनराशि विभागाध्यक्ष के निवर्तन पर रखते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशियों का प्रदेशन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैंडबुक के नियमों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत सम्बन्धित/सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(9) यदि किसी व्यय के लिये शासन स्तर से वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति का प्रस्ताव शासन को संदर्भित किया जाय, तो संदर्भित व्यय के लिये आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि की उपलब्धता इंगित करते हुए लेखाशीर्षक का भी उल्लेख प्रस्ताव में अंकित किया जाये।

(10) उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-88 के अनुसार नियंत्रक अधिकारी/विभागाध्यक्ष इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाये तथा निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि तत्काल अधीनस्थ कार्यालयों को आवंटित कर उसकी एक प्रति शासन को उपलब्ध करायी जाये।

2- अनुदान संख्या-24 (चीनी/राजस्व) लेखा शीर्षक-''2401-**फसल कृषि कर्म, 108-वाणिज्यिक फसलें, 03-गन्ना, 0304-लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, लखनऊ उ.प्र. को सहायता, 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)** के अन्तर्गत उपरोक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित संगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

3- उक्त वित्तीय स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप **संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च 2025** में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(सी. इंदुमती)
विशेष सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ.प्र., प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ.प्र., लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, लखनऊ।

https://shasanadesh.up.gov.in

4. वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उ.प्र.।
5. निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान लखनऊ, उ.प्र।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ.प्र., प्रयागराज।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1(दो प्रतियां)
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नूतन अग्निहोत्री)

अनु सचिव।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

https://shasanadesh.up.gov.in